न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 02/2024 — **दायर दिनांकः— 24.01.2024**

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**अप्रार्थी/गैरसायल—**
1.खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर		01. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री हिरालाल जाति खत्री, फर्म मैं0 शक्ति मसला उद्योग, अजीत रोड़ समदड़ी, तहसील समदड़ी जिला बालोतरा (विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :—

1. श्री प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर उपस्थित
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री हिरालाल जाति खत्री, फर्म मैं0 शक्ति मसाला उद्योग, अजीत रोड़ समदड़ी, तहसील समदड़ी जिला बालोतरा (विक्रेता व मालिक) गैरसायल स्वयं उपस्थित

—::आदेश::—

दिनांकः— 12.03.2024

1. शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने **लाल मिर्च पाउडर लूज अवस्था में 15 किलो के एक लोहे की धामें में** आम जनता को विक्रय वास्ते रखी हुई थी। विक्रेता ने उक्त लाल मिर्च पाउडर को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विकेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

2. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक **13.07.2023 को लगभग 02.40 PM** पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **मैसर्स मैं0. शक्ति मसला उद्योग, अजीत रोड़ समदड़ी, तहसील समदड़ी जिला बालोतरा** पहुंचा। वहां निरीक्षण के दौरान **लाल मिर्च पाउडर लाल लूज अवस्था में 15 किलो के एक लोहे की घामें में** रखा हुआ था। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित था, उससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना **नाम श्री प्रदीप कुमार खत्री पुत्र श्री हिरालाल खत्री जाति खत्री** बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। **लाल**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्टेट बालोतरा

मिर्च पाउडर लूज अवस्था में मिलावट का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बता दिया गया कि उक्त का एफ.एस.एस.ए. के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त **लाल मिर्च पाउडर लूज** को एक लोहे के धामें से, को अच्छी तरह से हिलामिलाकर में से **2 किलोंग्राम लाल मिर्च पाउडर लूज** तुलवाकर एक साफ–सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता व मालिक को **500/–** रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा **2 किलोंग्राम लाल मिर्च पाउडर लूज** को चार साफ, सूखे एवं खाली चौड़े मुंह के प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदसूदा लाल मिर्च पाउडर लूज को चार बराबर बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सूखे एवं खाली डिब्बों में डाला। इन चारों नमूला डिब्बों के ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता व मालिक एवं गह्वान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर का कोड व सिरियल नम्बर P-2182 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व मालिक व गह्वान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना डिब्बे पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना डिब्बो को अलग–अलग ख़ाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना डिब्बो पर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक P-2182 गोंद से उपर से लेकर नीचे तक गोलाई में चिपकाकर मजबूत धागे से बांधकर चार–चार जगह चपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया। चारों नमूना डिब्बों पर श्रीमान डीओ के कोड व सीरियल P-2182 अंकित कर विवरण लिखा। जिस पर गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता व मालिक नें हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूना डिब्बों को अपने जाब्तें में लेकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व मालिक एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर एवं समझकर तथा सही मानकर हस्ताक्षर किये। साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना P-2182 सील बन्द किया था उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया उपरोक्त सभी कार्यवाही मैंने गवाह व विक्रेता व मालिक के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना डिब्बों को सील किया गया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को श्री महेश कुमार, डाटा ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर ने अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न की गई। एक नमूना डिब्बे मय फार्म नं 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को श्री महेश कुमार, डाटा ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर ने अगले कार्य दिवस जमा कराकर फार्म नं. 6 की पुस्ट भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है तथा नमूने के द्वितीय एवं तृतीय सीलबन्द नमूना मय फार्म नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्दकर, सील मोहर कर तथा शेष नमूने का चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सीलबन्द सीलमुहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को अगले कार्य दिवस को आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया **(लाल मिर्च पाउडर का लूज)** नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं निनियम 2011 के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर ने विक्रेता व मालिक/फर्म को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना जरिये डाक से प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. मैसर्स शक्ति मसाला उद्योग, अजीत रोड़, समदड़ी जिला बालोतरा की ओर से श्री प्रदीप कुमार, खाद्य विश्लेषक जोधपुर की प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने के कारण, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय फार्म न0 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर कार्यवाही करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने नमूने के द्वितीय भाग को श्रीमान निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को पुनः भिजवाया गया। फार्म नं. 6ए की कार्यालयान प्रति मय रजिस्ट्री की रसीद व फार्म नं. 8 मय प्रार्थना पत्र जो न्याय निर्णयन आवेदन संलग्न है।

9. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा नमूना पार्सल करने की मूल रसीद चस्पा है, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन संलग्न है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के **पत्रांक एफएसएसए/2023/04 दिनांक 02.01.2024** के साथ संलग्न **निदेशक, रैफरल फूड लैबोरेट्री, मैसूर का विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. 916F/FSSA/2023 दिनांक 22.12.2023** के अनुसार खाद्य लाल मिर्च पाउडर लूज का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है तथा जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा मैसर्स शक्ति मसाला उद्योग, अजीत रोड़, समदड़ी जिला बालोतरा को भी रजिस्ट्रर्ड पत्र द्वारा भेजी गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं निनियम 2011 के नियम 2.4.6.(i) के अनुसार रैफरल फूड लेबोरेट्री से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अन्तिम है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर का अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व विश्लेषण सर्टिफिकेट, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

10. इस प्रकरण से संबंधित असल मूल कागजात एवं छायाप्रतियां एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां वास्ते न्याय निर्णयन हेतु प्राधिकृत करने बाबत् श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये।

11. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।

12. अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित होकर माफी नामा प्रस्तुत किया अर्थात प्रकरण निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

13. परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा **निदेशक, रैफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. 916F/FSSA/2023 दिनांक 22.12.2023** के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर उपयोग में लिये जा रहा मिलावटी **(लाल मिर्च पाउडर का लूज)** का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

14. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत **अप्रार्थी सं 01** पर **10000/–रू अक्षरे दस हजार रुपये** शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर** के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक **12.03.2024** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

15. निर्णय आज दिनांक **12.03.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
(राजेन्द्र सिंह चांदावत) बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

क्रमांक/एडीएम कोर्ट/2024/ दिनांक 12.03.2024

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
3. विप्रार्थी सं. 01 श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री हीरालाल खत्री, फर्म मैं0 शक्ति मसाला उद्योग, अजीत रोड़ समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ★ बालोतरा (राज.)